

आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने भरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अमिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अमिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती अमिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश किये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रार्थी का नाम	संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
5795	131	पन्ना राम पुत्र उजामा जाँड़ जाँड़	108, 95 कुल 12	12.60	पन्ना राम पुत्र उजामाराम जाँड़ जाँड़	108, 95 कुल 12	12.60

क्रमांक :- 209
12.10.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभाषी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडलाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पंटेदार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभाषी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडलाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर